संख्या–1500/ III–2/05–51(प्रा.आ.)/05

प्रेषक,

टी0के0 पन्त ,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 2। नवम्बर ,2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में 06 (छः) कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 726/24 (27) याता0– उ0/05 दिनांक 18.3.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये 06 (छः) कार्यों के रू0 880.70 लाख की लागत के आगणनो पर टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रू0 867.20 लाख (रू0 आठ करोड सडसठ लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आगणनों की उनके सम्मुख अंकित संलग्न विवरणानुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रत्येक कार्य हेतु कालम–6 में अंकित विवरणानुसार रूपये 0.25 लाख प्रति योजना की दर से 6 योजनाओं हेतु कुल रू0 1.50 लाख (रू0 एक लाख पच्चास हजार मात्र) की धनराशि की वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 में व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जायें तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्ध सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
5. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।
7. आगणन मे जिन मदों हेतु जो राशि आंकलित/स्वीकृत की गई है। व्यय उसी मद मे किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।
8. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।
9. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी/अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूमि की उपलब्धता एवं कब्जा सुनिश्चित कर लिया जायेगा, अन्यथा उस योजना के लिए धनराशि का आहरण नही किया जायेगा जिसके लिये उपरोक्तानुसार सुनिश्चितता न हो जाए। इसकी सूचना शासन को भी उपलब्ध करा दी जायेगी।

11. यदि उक्त कार्यों में से किसी कार्य हेतु लो0नि0वि0 के बजट के अथवा अन्य विभागीय बजट से धनराशि स्वीकृत कि जा चुकी हो तो उस उक्त योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आगणन करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायगी।

12. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो,उनमे व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनो पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनो पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय । स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमो का भी अनुपालन किया जायेगा।

13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

14. इस कार्य पर होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-ले0शी0-5054-सड़को तथा सेतुओ पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-03राज्य सैक्टर-02 नयानिर्माण कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य की मद के नामे डाला जायेगा।

15. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.1120/XXVII/(3)/2005 दिनांक 2 अगस्त , 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः- 06 कार्यों की सूची।

भवदीय

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-1500 (1)/III-2/05,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराचल, इलाहाबाद/ देहरादून।
2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी।
3- जिलाधिकारी /कोषाधिकारी, टिहरी।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5- मुख्य अभियन्ता (ग.क्षे.) लोक निर्माण विभाग,पौडी ।
6- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून।
7- अधीक्षण अभियन्ता ,27 वां वृत्त,लो0नि0वि,टिहरी ।
8- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन।
9- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या–1500/ III(2)/05– 51 (प्रा.आ.)/05टी0सी0 दिनांक 21 नवम्बर ,2005 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी. में)	अनुमानित लागत	टी0ए0सी0 वित्त द्वारा आंकलित राशि	वित्तीय वर्ष2005–06 में व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6
1.	जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलगना के अन्तर्गत देवलग–रीह मोटर मार्ग का निर्माण	7.00+ 3 सेतु	241.20	235.60	0.25
2.	जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलंगना के अर्न्तगत सेन्दुल पटुड गॉव मोटर मार्ग के कोंन्ती से पटुड गॉव मोटर मार्ग का नव निर्माण	12.00	166.80	166.80	0.25
3.	जनपद टिहरी गढवाल में कोटी–जाख डखयाण गॉव गनवाडी–चाजी मोटर मार्ग का निर्माण	7.00	118.90	118.90	0.25
4.	जनपद टिहरी गढवाल में केपार्स से भदेटी बैण्ड मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00 किमी0 एव किमी0 11 में 8.00 मी0 स्पान आर.सी.सी. पुलिया का निर्माण ।	5.00+सेतु	66.30	66.30	0.25
5.	जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलगना के अर्न्तगत झाला से तेड गधेरे तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य सेतु सहित	10.00+सेतु	199.60	194.60	0.25
6.	जनपद टिहरी गढवाल के विकास खण्ड भिलगना के अर्न्तगत चंदीयाल–बूढाकेदार में बाल गंगा नदी पर 75.00 मी0 स्पान के पैदल झूला पुल के नव निर्माण कार्य	75 मी0	87.40	85.00	0.25
	योग :–		880.70	867.20	1.50

(रूपये एक लाख पच्चास हजार मात्र)

(टी0 एन0 पन्त)
संयुक्त सचिव।